[illegible] को अस्वीकार कर दिया, व्यवहारिता में अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली बहस प्रारूप (स्वरूप) हेतु दिनांक 05/04/2018 को पेश हो।

05/4/2018 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी द्वारा बहस सुनी गयी। यह विवाद नहीं है कि वकील पार्टी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश-6 नियम 17 सी.पी.सी. में अंकित आवश्यकता का अंकन दावे मूल में सम्मिलित किन कारणों से नहीं किया गया था। बहस एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आवश्यकता जानबूझकर मूल दावे में दावा पेश करते समय अंकित नहीं की गयी। अतः प्रार्थी पत्र O-6 R-17 CPC वर्तमान परिवेश में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से अस्वीकृत किया जाता है। पत्रावली आवश्यक सेमी घालना (वर्तमान मामा स्टेट) में दिनांक 11/04/2018 को पेश हो।

सही/ओ.सा.

11/4/18 अवकाश पर पधारे हैं

23/4/18

30/05/2018 पत्रावली सम्मान पीठ अदालत शिविर भंडावी के समक्ष रखायी गयी। पार्टी ने लगातार शिविर निवेदन किया कि वह प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहता है एवं नया दावा पेश करना चाहता है। अतः प्रकरण में आगे स्थगन पर कार्यवाही क्षेप की जाती है। पत्रावली कैमूला शुमार होकर नंबर में कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Web Copy - Not Official